कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
शासकीय गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट: www.gmc.Bhopal.Net फोन : 0755–4050000

क्रमांक 11081 / अधि0 / एनएचएम(6) / 2021 भोपाल, दिनांक 16-4-21

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के पत्र कमांक 6831 / एन.एच.एम. / एच.आर / सेल–1 / 2021 दिनांक 16.4.2021 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार कोविड–19 से उपचार की व्यवस्था में आयुष चिकित्सा अधिकारी एवं दंत शल्य चिकित्सक की दिनांक 31.5.2021 तक की अवधि हेतु अस्थाई रूप से रखे जाने की प्राप्त अनुमति के आधार पर (आवश्यकतानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकती है) निम्नानुसार योग्यताधारी उम्मीदवारों से आवेदन–पत्र दिनांक 19.4.2021 को प्रातः 11:00 बजे से 23.4.2021 को शाम 5:00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं:–

क0	पदनाम	योग्यता	मासिक मानदेय प्रतिमाह	कुल पद संख्या
1.	आयुष चिकित्सा अधिकारी(आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी)	बी.ए.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एच.एम.एस.(मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं म. प्र. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीवित पंजीयन / म.प्र. होम्योपैथी परिषद् में जीवित पंजीयन	25,000	36
2.	दंत शल्य चिकित्सक	1. भारतीय डेंटल काउंसलिंग(डी.सी.आई.) द्वारा मान्यता प्राप्त बी.डी.एस. की उपाधि। 2. म.प्र. राज्य डेंटल काउंसलिंग से स्थाई जीवित वैध पंजीयन (निर्धारित इंटर्नशिप पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र)	25,000	07

1. इच्छुक पात्र उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी का
2. अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवासी एव जाति प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेजों की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ लेकर आए।
3. पूर्व में जमा समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी में पात्र आवेदकों के चयन आदेश की सूचना कॉलेज की वेबसाइट पर

प्रकाशित की जाएगी। जिन्हें आदेश प्रकाशन के 3 दिवस के भीतर अधिष्टाता कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में उपस्थिति देनी होगी।

4. दस्तावेज अभ्यार्थी का म.प्र. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीवित पंजीयन/म.प्र. होम्योपैथी परिषद म.प्र. राज्य डेंटल काउंसलिंग से स्थाई जीवित पंजीकरण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार से दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आपको पात्र नहीं माना जाएगा।
5. कोविड–19 महामारी की रोकथाम करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आयु और वर्ग के मानक को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष के आयु एवं वर्ग के पद अनुसार पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते है।
6. नियुक्ति अस्थायी दिनांक 31.5.2021 तक के लिए है। चयनित आवेदक नियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् संविदा या नियमित नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और न ही इसके लिए कोई दावा करेगा। इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
7. कोविड–19 महामारी के नियत्रण एवं रोकथाम के लिए अनुबंधित है। आवेदक को चयन के पश्चात् नियुक्ति के समय 500/– रूपये अनुबंध का व्यय स्वयं करना पड़ेगा।

इस कार्यलय को बिना कारण बताये किसी भी समय यह विज्ञप्ति मे आशिंक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यलय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में केवल न्यायालय भोपाल में परिषद हेतु मान्य रहेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल